



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल- tax@uppcl.org

पत्र सं०: 33422/2025/ का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल दिनांक: 06-12-2025

CORRIGEDUM

विषय:- दिशा-निर्देश सं० 35/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025 दिनांक 03.11.2025 के संबंध में शुद्धिपत्र।

उक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की जी०एस०टी० अधिसूचना सं० 15/2025&Central Tax (Rate) दिनांक 17.09.2025 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 35/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025 दिनांक 03.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। जिसके माध्यम से कई सेवाओं/माल की जी०एस०टी० दरों में आये परिवर्तन से इकाईयों को अवगत कराया गया था।

उक्त दिशा-निर्देश में HSN Code 996412 (Renting of Motor Vehicle) की दरों को निम्नलिखित अनुसार संशोधित समझा जाये:-

HSN/SAC Code	Name of Goods/ Services	Old Rate	Revised Rate	Conditions/ Remarks
996412	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service) (क) चालक सहित, बिना Fuel	18%	18%	जी०एस०टी० दर :18% (Under Forward Charge Mechanism FCM)
	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (ख) चालक सहित, Fuel सहित	12%	18%	जी०एस०टी० दर :18% (Under Forward Charge Mechanism FCM)
	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (ग) चालक सहित, Fuel सहित	5%	5%	जी०एस०टी० दर :5% (under Reverse Charge Mechanism RCM) *No ITC to Vendor and rate charged by vendor should be @5%. Refer Guideline No. 16 th dated 06.11.2019 for more details.

उपरोक्त दरें दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी हैं। अतः सभी इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिशा-निर्देश सं० 35/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025 दिनांक 03.11.2025 में अंकित दरें एवं उक्त संशोधित जी०एस०टी० दरों के अनुसार ही SAP पर बिलिंग एवं लेखा प्रविष्टियां किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरोक्त।


(नितिन निज़ावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा-निर्देश सं०: 35A/का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025 तद्विनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का०प्र० एवं प्रशा० 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. अनुसचिव (स० प्र० लेखा), 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी०एम०यू०/वेतन एवं लेखा, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, 30 प्र० पावर कारपोरेशन लि०, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उपग्रह सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल- tax@uppcl.org

पत्र सं०: I/29660/2025/का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल

दिनांक: 03-11-2025

ई-मेल द्वारा

दिशा-निर्देश सं०: 35 /का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025

विषय:- वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 56वीं जी०एस०टी० परिषद की बैठक में किये गये संशोधनों के अनुपालन में वस्तुओं/सेवाओं की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

उक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की जी०एस०टी० अधिसूचना सं० 15/2025-Central Tax (Rate) दिनांक 17.09.2025 का संन्दर्भ ग्रहण करें, जी०एस०टी० परिषद की 56वीं बैठक में वस्तुओं/सेवाओं की दरों में परिवर्तन किये गये हैं। कृपया निम्नलिखित नवीनतम दरों के अनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

HSN/SAC Code	Name of Goods/ Services	Old Rate	Revised Rate	Conditions/ Remarks
996311	गेस्ट हाउस प्राप्तियां (Guest House Receipts)	12%	18%	समस्त प्राप्तियों पर 18% जी०एस०टी० लागू होगा।
491110	निविदा शुल्क (Tender Fee Physical)	12%	18%	भौतिक (Physical) प्रिंट कॉपी में- जी०एस०टी० दर: 18%
998431	निविदा शुल्क (Tender Fee Online)	18%	18%	भौतिक (Online) प्रिंट कॉपी में- जी०एस०टी० दर: 18%
996412	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (क) चालक सहित, बिना पेट्रोल	18%	18%	जी०एस०टी० दर: 18%
	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (ख) चालक सहित, पेट्रोल सहित	12%	5%	जी०एस०टी० दर: 5%
996511	जी.टी.ए. सेवाएं (Goods Transport Agency) With ITC	18%	18%	आर.सी.एम./एफ.सी.एम. के अंतर्गत 18% (आईटीसी के साथ)
	जी.टी.ए. सेवाएं (Goods Transport Agency) Without ITC	12%	5%	(वस्तु परिवहन सेवाएं) जी०एस०टी० दर: 5% (आईटीसी के बिना)

उपरोक्त दरें दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी है। अतः सभी इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन जी0एस0टी0 दरों के अनुसार ही SAP पर बिलिंग एवं लेखा प्रविष्टियां किया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा-निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकारका उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स/जी०एस०टी० सेल

Corporate Tax / GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल -dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिशा-निर्देश सं०: 16 / उ०म०प्र०(टैक्स) / जी०एस०टी० सेल / 2019

दिनांक: 06 / 11 / 2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- 01 अक्टूबर 2019 से लागू जी०एस०टी० में संशोधन के सम्बन्ध में।

1. Renting of Motor Vehicle-(In Specified Cases Only) पर RCM के सम्बन्ध में-

वर्तमान में Services from GTA/Advocates/PRD, Security Services-(In Specified Cases Only) इत्यादि पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के तहत जी०एस०टी० सम्बन्धित इकाईयों द्वारा जमा कराया जाना प्राविधानित है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-22/2019-Central Tax (Rate) दिनांक 30 सितम्बर 2019 के द्वारा कुछ विशेष दशाओं में **Renting of Motor Vehicle** को भी केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9(3) में RCM के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

अतः निम्नवत् सभी तीन दशाओं के पूर्ण होने पर इकाईयों द्वारा प्राप्त की जा रही Renting of Motor Vehicle सेवाओं पर, धारा 9(3) में RCM के तहत जी०एस०टी० सरकारी कोष में सम्बन्धित इकाई द्वारा ही जमा किया जायेगा:-

- उक्त सेवाएँ जी०एस०टी० में पंजीकृत सेवा-प्रदाता से प्राप्त हो, एवं
- उक्त पंजीकृत सेवा-प्रदाता **Body Corporate ना हो** (अर्थात् सेवा-प्रदाता Proprietorship/HUF/Partnership फर्म इत्यादि हो), एवं
- उक्त पंजीकृत सेवा-प्रदाता द्वारा इकाई को **टैक्स इनवॉइस** उपलब्ध कराया गया हो, जिसमें **CGST/SGST @ 2.5%/2.5%, या IGST@5%** अंकित/चार्ज किया गया हो।

उपरोक्त प्रावधानों हेतु "Motor Vehicle" की निम्नलिखित परिभाषा CGST Act, 2017 में वर्णित की गई है:

" 'motor vehicle' or 'vehicle' means any mechanically propelled vehicle adapted for use upon roads whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source and includes a chassis to which a body has not been attached and a trailer; but does not include a vehicle running upon fixed rails or a vehicle of a special type adapted for use only in a factory or in any other enclosed premises or a vehicle having less than four wheels fitted with engine capacity of not exceeding twenty-five cubic centimeters".

अतः उपरोक्त परिभाषा के अनुसार माल एवं सवारी दोनों प्रकार के वाहन Motor Vehicle में सम्मिलित है।

उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं:

- ऐसे प्रकरण जहाँ पंजीकृत सेवा-प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस में निर्धारित दर से जी०एस०टी० अंकित/चार्ज तो किया जाता है, परन्तु उस जी०एस०टी० की राशि को सरकारी कोष में जमा कराने का दायित्व रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत सेवा प्राप्तकर्ता (अर्थात् निगम की इकाई) का होता है, उन प्रकरणों में सेवा-प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस पर प्रायः **"Tax Payable Under Reverse Charge Mechanism (RCM):YES"** या **"GST Payable Under RCM:YES"** जैसे वाक्य स्पष्ट रूप से अंकित किये जाते हैं।
- ऐसे प्रकरण जिनमें Renting of Motor Vehicle की सेवाओं के लिए सेवा-प्रदाता द्वारा टैक्स इनवॉइस में जी०एस०टी० नियमानुसार 12 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० चार्ज किया जाता है, उन प्रकरणों में RCM के उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

(उदाहरणस्वरूप: इकाईयों द्वारा केवल मोटर कार/जीप (चालक सहित) किराये पर ली जाती हैं, जिसमें ईंधन विभाग द्वारा वहन किया जाता है, इस प्रकार की सेवाओं पर वर्तमान में 18 प्रतिशत की दर लागू है। अतः ऐसे प्रकरणों में RCM के उक्त प्रावधान लागू नहीं है।)

(iii) रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) की उक्त प्रयोज्यता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:-

A. Services supplied before 1st October, 2019

S. No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	20.09.2019	30.09.2019	20.09.2019	Wherever services have been provided prior to 01.10.2019 and Tax Invoice has been issued by the service providers prior to such date, No liability under RCM arises even if the payment to the supplier has been made post 01.10.2019, as the time of supply has arisen prior to such date only.
2	10.09.2019	31.10.2019	10.09.2019	
3	10.09.2019	25.09.2019	10.09.2019	

B. Services supplied on or after 1st October, 2019

S. No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	31.10.2019	05.11.2019	31.10.2019	RCM would be applicable
2	31.10.2019	12.09.2019 (Advance Payment)	12.09.2019	No RCM on such advance
3	31.10.2019	Total Payment Rs. 5 Lakhs Rs. 3 Lakhs (Advance paid on 12.09.2019) & Rs. 2 Lakhs on 05.11.2019	12.09.2019 31.10.2019	RCM not applicable for Rs. 3 Lakhs. However, w.r.t. Rs. 2 Lakhs liability would vest on the service recipient under RCM

2. अपंजीकृत प्रदाता से प्राप्त होने वाले वस्तु/सेवा पर Reverse Charge Mechanism (RCM) के सम्बन्ध में-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9(4) के अन्तर्गत अपंजीकृत प्रदाता से प्राप्त होने वाले वस्तु/सेवा पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के अन्तर्गत इकाई पर जी0एस0टी0 की देयता, जिसे भारत सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा दिनांक 30.09.2019 तक स्थगित किया गया था, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस देयता को अग्रिम आदेशों तक पुनः समाप्त कर दिया गया है।

अतः अपंजीकृत व्यक्ति/फर्म से प्राप्त होने वाली वस्तु/सेवा पर रिवर्स चार्ज प्रणाली (RCM) के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक इकाई पर जी0एस0टी0 की देयता नहीं है।

(चेतन गरी)
लेखाधिकारी
(जी0एस0टी0 सेल)

दिशा-निर्देश सं०: /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल /2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं० 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(चेतन गरी)
लेखाधिकारी
(जी0एस0टी0 सेल)